अध्याय 5 – निष्कर्ष

सी.एस.आइ.आर. की दसवीं पंचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में नेटवर्क परियोजनाओं का जन्म हुआ था, जिसका दायित्व और समापन दसवीं योजना की समयावधि (2002–07) के दौरान होना था। सी.एस.आइ.आर. ने दसवीं योजना के प्रारंभ के दो वर्ष से भी अधिक के बाद नेटवर्क परियोजना के लिए दिशा निर्देश जारी किये। इस प्रकार परियोजना गठन और परियोजना प्रस्तावों के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों की उपयुक्तता अधिकांश परियोजनाओं में अनावश्यक हो गई। परियोजनाओं की शुरूआत में 12 से 34 महीनों का विलम्ब हुआ, जिसका प्रभाव नेटवर्क परियोजनाओं के गतिविधियों की समाप्ति पर पड़ा। लेखापरीक्षा में टी. एफ. की मीटिंग में 45 प्रतिशत और एम.सी. की मीटिंग में 56 प्रतिशत की कमी भी पाई गई, जिसका परियोजना की निगरानी पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा।

15 परियोजनाओं से ₹ 48.73 करोड की लागत के उपकरण या तो परियोजना के समापन के पश्चात या परियोजना के अंतिम चरण के दौरान प्राप्त/स्थापित/कमीशन हुए और परियोजनाओं के लिए उपयोग नहीं किये जा सके।

उच्च मूल्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना दिशा निदेर्शों के साथ–साथ वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों ने परियोजना प्रस्ताव में मापने लायक मानदण्ड़ो को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। लेखापरीक्षा में जाँचे गये परियोजनाओं में से 60 प्रतिशत से भी अधिक में मापने लायक मानदण्डो को परिभाषित नहीं किया गया था। परियोजना निष्पादन के लिए सीमांकित पैमाने की अनुपस्थिति में इन परियोजनाओं की सफलता की हद को नापा नहीं जा सका। कुछ मामलों में, जिनमें लक्ष्य निर्धारित थे, उनके विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि, अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन और प्रौद्योगिकियों के विकास में कुछ गौर करने लायक उपलब्धि के सिवाय, कम थे।

₹ 621.80 करोड की लागत पर कार्यान्वित 27 परियोजनाओं के उपलब्ध विश्लेषण से उजागर हुआ कि प्रौद्योगिकीयों के विकास, हस्तांतरण और विक्रय से वापसी से व्यवसायीकरण योग्य परिणाम उत्पन्न नहीं हो सके। पिछले 10 वर्ष के दौरान 399 विकसित प्रौद्योगिकीयों में से, 51 प्रौद्योगिकीयों का हस्तांतरण हुआ और 38 प्रौद्योगिकीयां व्यवसायीकृत हुई। प्रौद्योगिकीयों के व्यवसायीकरण/हस्तांतरण के माध्यम से कुल कमाया गया राजस्व केवल ₹ 3.83 करोड था, जो कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर उठाये गये कुल व्यय का एक प्रतिशत से भी कम था।

नेटवर्क परियोजनाओं का एक मौलिक तत्व था, सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त पेंटेंट दायर करना और बहु–प्रयोगशाला एवं बहु–लेखक अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन। 264 पेंटट में से केवल 41 पेंटट, यानी 16 प्रतिशत संयुक्त रूप से अभिलिखित किये गये। समानरूप से 2008 प्रकाशित अनुसंधान पेपरों में से केवल 104 प्रकाशन संयुक्त रूप से लाये गये थे।

नेटवर्क परियोजनाओं के प्रभाव आंकलन के लिए न तो सी.एस.आइ.आर. और न ही बाहरी एजेंसियों द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया था, यद्यपि यह एक नवीन पहल थी, जिससे सी.एस.आइ.आर. को एक सीखने का अनुभव उपलब्ध होने की आशा थी।

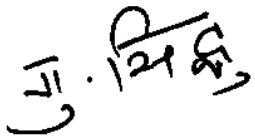

(गुरवीन सिद्धु)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनाँक : **31** दिसंबर **2013**

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक : **6** जनवरी **2014**